समयबद्ध / महत्वपूर्ण / ई–मेल
संख्या–रिट 114 / आठ–9–2021

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक :03 ~~नवम्बर~~ 16 दिसम्बर, 2021

विषयः रिट नोटिस सं0–8128(एमबी)/2021 कोसले रेमिडीज लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ के पत्र संख्या–ए–14444/सिविल, दिनांक 27.10.2021 की मूलप्रति संलग्न कर (वापसी अपेक्षित) प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण से भिज्ञ अधिकारी को मुख्य स्थायी अधिवक्ता, लखनऊ कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर निम्नलिखित कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें :–

(1) प्रश्नगत रिट याचिका में तत्काल मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ से सम्पर्क स्थापित करते हुए अपेक्षानुसार (Instructions) /अभिकथन उपलब्ध कराया जाय। यदि आवश्यक हो तो मा0 उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल कराना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी बिन्दु पर शासन के मार्गदर्शन की आवश्कता हो तो तद्नुसार शासन को अवगत कराया जाय। दाखिल प्रतिशपथ–पत्र की प्रति मुख्य स्थायी अधिवक्ता के रिकार्ड पर लाते हुये उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

(2) याचिका की प्रत्येक स्तर पर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाय, तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय की पैरवी के अभाव में शासन/प्राधिकरण का पक्ष कमजोर न होने पाये।

(3) वाद की सतत प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करते हुये समय–समय पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के संबंध में प्रगति रिपोर्ट शासन को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाय।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपि मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–ए–14444/सिविल, दिनांक 27.10.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

E:\Suresh Chandra Gupta RO\GO.docxGO

संख्या A14444/सिविल

दिनांक 27/10/21

सं0-रिट 114/आठ-9-2021

प्रेषक,

मुख्य स्थायी अधिवक्ता,
उच्च न्यायालय,
लखनऊ।

4320/2021

सेवा में,

प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन
उ0प्र0 शासन
लखनऊ।

VS(MS)आ-4

विषयः—सिविल मिस रिट पिटीशन/~~विशेष अपील~~ संख्या

(जयसिंह)
निजी सचिव
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

नोटिस संख्या 8128/MB/21

Bossly Remedies Limited बनाम State of UP

महोदय,

मुझे आपको सूचित करना है कि उपर्युक्त रिट पिटीशन की नोटिस मुझे प्राप्त हुई तथा उक्त रिट पिटीशन उच्च न्यायालय में दिनांक 28/10/21 को पेश की जाने वाली है।

(2) अतः मुझे आपसे निवेदन करना है कि उक्त मुकदमें में न्याय विभाग अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उचित आदेश शीघ्र ही जारी करवाने की कार्यवाही करें कि इसमें स्थायी अधिवक्ता द्वारा रिट की पैरवी किया जाय या नहीं, यदि न्याय विभाग/विभागाध्यक्ष द्वारा इसमें निर्णय लिया जाना है कि पैरवी होना है तो सम्बन्धित विभाग को तुरन्त यह निर्देश देने का कष्ट करें कि वे मामले से सम्बन्धित अभिकथन (Instruction) इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें तथा रू0 100/— (रू0 सौ मात्र) की धनराशि विविध व्यय हेतु जमा करना सुनिश्चित करें।

(3) रिट पिटीशन की एक प्रतिलिपि संलग्न/~~नहीं~~ है।

भवदीय,

27-10-21
कृते मुख्य स्थायी अधिवक्ता

संख्या .... सिविल दिनांक ....

रिट याचिका की प्रति सहित निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चि करें।

(1) 12970/VSMS/21
(2) USG(DKP)
(3)
(4)
(5)
(6)

28.10.2021
(माला श्रीवास्तव)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन
उत्तर प्रदेश शासन।

संलग्न
29/10/21

कृते मुख्य स्थायी अधिवक्ता

SO-9
28.10.2021

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 1 उच्च न्यायालय—12—5—2021—(73)—50,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।